भाग 1

प्रस्तुतकर्ता अथवा प्रार्थी द्वारा रखा जाने वाला

उपनिबन्धक सदर लखीमपुर क्रम संख्या 2022218010457

आवेदन संख्या : 202200801009500

लेख या प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का दिनाँक 2022-05-02 00:00:00

प्रस्तुतकर्ता या प्रार्थी का नाम डा० महताब आलम खां

लेख का प्रकार न्यास पत्र

प्रतिफल की धनराशि 11000 / 0.00

1 . रजिस्ट्रीकरण शुल्क 110

2 . प्रतिलिपिकरण शुल्क 60

3 . निरीक्षण या तलाश शुल्क

4 . मुख़्तार के अधिप्रमाणी करण लिए शुल्क

5 . कमीशन शुल्क

6 . विविध

7 . यात्रिक भत्ता

1 से 6 तक का योग 170

शुल्क वसूल करने का दिनाँक 2022-05-02 00:00:00

दिनाँक जब लेख प्रतिलिपि या तलाश प्रमाण पत्र वापस करने के लिए तैयार होगा 2022-05-02 00:00:00

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

Scanned with OKEN Scanner

IV 63

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

सत्यमेव जयते

ACC NAME SANJAY VERMA
ACC CODE U.P.14338104
LIC No.528
TEH.SADER
LMP-KHERI
Mob.: 9956287...

e-Stamp

Certificate No.	:	IN-UP79700581570945U
Certificate Issued Date	:	30-Apr-2022 05:43 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14338104/ LAKHIMPUR SADAR/ UP-LKM
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP14338104506222891220 81U
Purchased by	:	Dr Mahtab Alam Khan
Description of Document	:	Article 64 (A) Trust - Declaration of
Property Description	:	Not Applicable
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	Dr Mahtab Alam Khan
Second Party	:	Dr Mahtab Alam Khan
Stamp Duty Paid By	:	Dr Mahtab Alam Khan
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	750 (Seven Hundred And Fifty only)

सत्यमेव जयते

E-STAMP LOCKED
SUB REGISTRAR
SADAR-LAKHIMPUR

IN-UP79700581570945U

Please write or type below this line

JD 0000710052

Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

ट्रस्ट डीड

ई–स्टाम्प नं0 – IN-UP79700581570945U

यह ट्रस्ट डीड दिनांक 02.05.2022 को डा0 महताब आलम खां पुत्र श्री मुख्तार अहमद खां निवासी 152 शाहपुरा कोठी शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निम्न प्रकार निष्पादित किया जाता है।

चूंकि दाता की इच्छा है कि छात्र/छात्राओं के शिक्षण, शैक्षिक, व्यवसायिक प्रशिक्षण व अन्य उद्देश्यों के प्रयोजनार्थ किसी उत्तम स्थान पर यूनिवर्सटी, मेडिकल कालेज ,विद्यालय, महाविद्यालय, प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान व वन्य जीव संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, चिकित्सा, सार्वजनिक हित के अन्य संस्थान स्थापित करने हेतु इस विलेख में वर्णित सम्पत्ति को न्यास पर व्यवस्थित करें जिसके लिए न्यास के उद्देश्यों तथा नियमों का प्राख्यापन आवश्यक है जो निम्न प्रकार है।

ट्रस्ट का नाम	–	फ्यूचर विज़न एजुकेशनल ट्रस्ट (Future Vision Educational Trust)
ट्रस्ट का कार्यालय	–	मोहल्ला हिदायत नगर निकट लाइफ लाइन हास्पिटल शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला–खीरी।
ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र	–	सम्पूर्ण भारत व देश विदेश

ट्रस्ट के उद्देश्यः–

यह कि दाता इस विलेख में वर्णित धनराशि न्यास के पक्ष में हस्तान्तरित, अन्तरित और अनुदत्त करता है कि वह उसके नीचे वर्णित ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए प्राप्त और धारित करे। ट्रस्ट के द्वारा उसका विनियोग दाता के निर्देशों के अनुसार उक्त उद्देश्यों को कार्यान्वित और पूरित करने के लिये किया जाए और एतद् द्वारा सर्वदाकाल के लिए इस विलेख में वर्णित उक्त धनराशि जो आज दिन पश्चात ट्रस्ट की विषय वस्तु कहा जायेगा अपने हित तथा उसके प्रति किसी दावा का त्याग करता है।

1– शैक्षिक, व्यवसायिक,वाणिज्य (कामर्स) चिकित्सीय, मनोचिकित्सीय विद्यालय/प्रशिक्षण संस्थाए एवं प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थाएं खोलना, उनका संचालन करना तथा चालू रखना।

2– चरित्रवान एवं शुद्ध आचरण वाले अध्यापकों, शिक्षकों तथा विशेषज्ञों की नियुक्ति करना जो शिष्यों, विद्यार्थियों एवं प्रशिक्षार्थियों को आधुनिक विज्ञान, औद्योगिक व्यवसाय, गवेषणात्मक कार्य, बौद्धिक एवं अन्य उपयोगी वृत्तियों में दक्ष तथा आधुनिकतम् शिक्षण देने के योग्य हो।

3– विद्यार्थियों एवं उस संस्था से सम्बन्धित समस्त व्यक्तियों के मानसिक, शारीरिक तथा नैतिक विकास की ओर स्वस्थ और समालोचन मनोभाव को विकसित करना ताकि वे अच्छे नागरिक बन सके।

4– विद्यार्थियों तथा उस संस्था से सम्बन्धित समस्त छात्र–छात्राओं के लिए छात्रावास स्थापित करना तथा उसे चलाना व छात्रावास का अलग–अलग नामकरण करना तथा प्रबन्ध समितियों का गठन करना।

5– न्यास की विषयवस्तु का इस प्रकार विनिधान, व्ययन अन्तरण या अन्य लेन–देन करना जैसा कि न्यासीगण ठीक समझे ताकि न्यास के उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से कार्यान्वित कर सके।

Scanned with OKEN Scanner

https://igrsup.gov.in/igrsup

आवेदन सं०: 202200801009500

न्यास पत्र

बही स०: 4	रजिस्ट्रेशन स०: 63	वर्ष: 2022

प्रतिफल- 11000 स्टाम्प शुल्क- 750 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 110 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 170

श्री डा० महताब आलम खां ,
पुत्र श्री मुख्तार अहमद खां
व्यवसाय : डाक्टर
निवासी: 152 शाहपुरा कोठी शहर व तह० लखीमपुर जि० खीरी

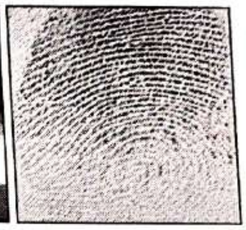

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 02/05/2022 एवं 01:00:01 PM बजे
निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक :सदर
लखीमपुर खीरी
02/05/2022

कोमल वर्मा लखीमपुर
निबंधक लिपिक
02/05/2022

Scanned with OKEN Scanner

6– दान, अनुदान, उपहार तथा अन्य भेंटों को स्वीकार करना तथा उन्हें न्यास के प्रयोजनों के लिए व्यवहार में लाना।

7– इस विलेख के अधीन संस्थापित एवं स्थापित किये जाने वाली संस्थाओं के संधारण और देखरेख में होने वाले व्यय तथा अन्य परिव्ययों की पूर्ति के लिए संयत शिक्षा शुल्क लेना।

8– शिष्यों को इस प्रकार प्रशिक्षित और संस्कारित करना कि वे शिष्ट और सम्मान जीवन पथ अपनाने के लिए आत्मनिर्भर हो सकें और अच्छे और स्वस्थ प्रगतिशील नागरिक बन सकें।

9– ट्रस्ट को प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर डिग्री कालेज तक की शिक्षण, संस्थायें, शोध केन्द्र, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, टेक्निकल प्रबन्धन कालेज, डेन्टल कालेज, आयुर्वेदिक कालेज, फार्मेसी संस्थायें, पैरामेडिकल कालेज मासकम्यूनिकेशन, लॉ कालेज एवं अन्य उच्च समस्त प्रकार की शिक्षा संस्थायें आदि को संस्थान के नियमानुसार स्थापित एवं संचालित करना।

10– ट्रस्ट को हास्पिटल, नर्सिंग होम, डिस्पेन्सरी क्लीनिक, डायग्नोस्टिक रिसर्च सेन्टर, योग एवं आयुर्वेदिक सेन्टर आदि जो न्यास निर्णय ले, स्थापित करना व संचालित करना।

11– ट्रस्ट के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, स्थानीय निकाय एवं विदेशी सरकार मिशन द्वारा स्वीकृत योजना को जनहित में संचालित करना।

12– ट्रस्ट द्वारा सेमिनार, कान्फ्रेन्स प्रदर्शन आदि के द्वारा पीड़ित मरीजों को सहयोग एवं सलाह देना।

13– ट्रस्ट द्वारा ग्रामोद्योग की स्थापना कर उ0प्र0 व भारत सरकार के सहयोग से संचालित करना।

14– ट्रस्ट द्वारा जनहित के कार्यों हेतु ऐसा कार्य करना जो ट्रस्टीगण निर्णय लें।

15– ट्रस्ट को भारत सरकार, राज्य सरकार, सांसदों विधायकों स्थानीय निकायों आदि के निधियों के सहयोग से विभिन्न संस्थाओं को संचालित करने का अधिकार होगा।

16– न्यासीगण संस्था की अनुशंसा पर ऐसी वृत्तिया और छात्रवृत्तियां ऐसे निबन्धनों पर जैसे कि वह उचित समझे दे सकेगा जो कि न्यास की विषय वस्तु की आय के समानुपातिक हो।

17– किसी न्यासी की मृत्यु/अक्षमता के कारण उसका उत्तराधिकारी न्यासी मण्डल में होने वाली रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। यह व्यवस्था सदस्यों हेतु नहीं होगी।

18– न्यास के प्रशासन में उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रश्न का निर्णय तत्समय के कार्यकारिणी न्यास मण्डल के बहुमत द्वारा किया जायेगा।

19– न्यासीगण न्यास की विषयवस्तु के निकाय में से या उसके किसी भाग के विक्रय के आगम में से ऐसी धनराशि जैसे कि न्यासियों द्वारा सर्वसम्पत्ति से संकल्पित की जाए, भवन आदि के निर्माण में तथा अन्य पूंजीगत व्यय करने के लिए खर्च कर सकेंगे।

20– यह ट्रस्ट भारतीय ट्रस्ट अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों 1882 के अधीन नियमित निकाय है जो उसके नियमों और उपनियमों द्वारा अधिशासित होगा।

21– न्यास न्यासियों के शुल्क, अनुदान, उपहार, दान तथा अन्य धनराशियों का जो उसे प्राप्त होगी लेखा देगी और किसी स्रोत से प्राप्त होने वाली निधियों के बारे में न्यासियों के निर्देश का पालन करेगी।

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202200801009500

बही स०: 4 | रजिस्ट्रेशन स०: 63 | वर्ष: 2022

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त न्यासी: 1

श्री डा० महताब आलम खां, पुत्र श्री मुख्तार अहमद खां

निवासी: 152 शाहपुरा कोठी शहर व तह० लखीमपुर जि० खीरी

व्यवसाय: डाक्टर

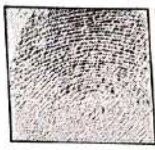

ने निष्पादन स्वीकार किया । जिनकी पहचान
पहचानकर्ता : 1

श्री शोएब इकबाल खां, पुत्र श्री फहीम अकबाल खां

निवासी: मकान नं० 484/249 मो० महराजनगर मस्जिद के पास लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० XXXX XXXX 8260

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री जुबेर आलम खां, पुत्र श्री मो० अतीक खां

निवासी: ग्राम मस्जिदपुरवा पो० लगुचा तह० लखीमपुर जि० खीरी आ०सं० XXXX XXXX 5428

व्यवसाय: अन्य

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की । प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिए गए है ।
टिप्पणी :

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर
लखीमपुर खीरी
02/05/2022

कोमल वर्मा लखीमपुर
निबंधक लिपिक लखीमपुर खीरी
02/05/2022

Scanned with OKEN Scanner

22– ट्रस्ट को अपनी संस्थाओं को संचालित करने के लिये बैंकों, वित्तीय संस्थाओं, स्थानीय निकायों, अन्य संस्थाओं, समितियों, व्यक्तियों तथा प्राइवेट कम्पनियों से ऋण एवं बैंक गारन्टी लेने का अधिकार होगा। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि बी0एम0एस0, एम0बी0बी0एस, फार्मेसी व इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा प्राईवेट संस्थान से ऋण, भवन निर्माण व अन्य उपकरण हेतु बैंक गारन्टी आवश्यकतानुसार समय–समय प्राप्त कर सकेंगे। ट्रस्टीगण ऋण एवं बैंक गारन्टी किसी भी राष्ट्रीयकृत/प्राइवेट बैंक अथवा प्राईवेट संस्थान से प्राप्त कर पाठ्य क्रमो को संचालित करना।

23– यदि कोई शिक्षण समिति (संस्था) या उसके अन्तर्गत संचालित स्कूल, कालेज या महाविद्यालय ट्रस्ट में विलय होना चाहे तो ट्रस्ट को उस संस्था या स्कूल, कालेज या महाविद्यालय को समस्त परिसम्पत्तियों सहित अपने में विलय करना।

24– ट्रस्ट की चल–अचल सम्पूर्ण सम्पत्ति ट्रस्टीगणों के दान द्वारा ट्रस्ट के आजीवन सदस्यों व अन्य सदस्यों व समाजसेवियों द्वारा दान से प्राप्त (acquire) होगी एवं विक्रय/ क्रय भी की जा सकती है व पट्टे पर भी ली जा सकती है।

25– ट्रस्ट मानव समाज के विकास हेतु विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना, कृषि कार्य करना, शिक्षण संस्थान संस्थापित करना।

26– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का अलग–अलग नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग–अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है।

27– ट्रस्ट की ओर से समाज की बुराइयों को दूर करने तथा चिंतन व अच्छे विचारों के प्रचार प्रसार हेतु धार्मिक समागम कराये जा सकेंगे तथा धार्मिक विचारों व प्रवचन आदि धार्मिक गुरूओं को आमंत्रित कर कराये जा सकेंगे।

28– कम्प्यूटर लैब की स्थापना करना एवं कम्प्यूटर संचालन एवं शिक्षा हेतु व्यवस्था सुनिश्चित करना तथा लैब का नामकरण करना तथा लैब का नामान्तरण करना।

29– कम्प्यूटर में दक्षता प्रमाण–पत्र प्रदान करना तथा दक्षता का वर्गीकरण करना।

30– प्राइमरी स्तर से लेकर कालेज,प्रबन्धन,प्रोफेशनल व अन्य प्रकार की डिग्री हेतु डिग्री कालेज यूनिवर्सिटी से सम्बद्वता प्राप्त करना।

31– नर्सरी टीचर ट्रेनिंग (N.T.T) व बी0टी0सी0 (B.T.C) व बी0एड0 (B.ED) व एम0एड0 (M.Ed.) शोध पी0एच0डी0 (PHD) आदि के कोर्सेज संचालित करना।

32– ट्रस्ट के अधीन सम्पूर्ण भारत गणराज्य के किसी भी राज्य व किसी जनपद में शिक्षण संस्थान, कोंचिग स्थापित करना व शिक्षण फेन्चाइजी प्राप्त कर संस्थाओं को संचालित करना।

33– ट्रस्ट के द्वारा कही भी छात्रावास का निर्माण कराना छात्र एवं छात्राओं को उत्तम शिक्षा उपलब्ध कराना तथा निर्माण हेतु सांसद व विधायक निधि प्राप्त करना तथा केन्द्र सरकार व राज्य सरकार से जो भी सहायता हो उसे प्राप्त करना।

34– नेशनल कौंसिल आफ टीचर्स एजुकेशन (एन0सी0टी0ई0) से संचालित पाठ्यक्रम डिग्री/डिप्लोमा के शिक्षण एवं प्रशिक्षण हेतु आवेदन कर मान्यता प्राप्त करना तथा इस ट्रस्ट के माध्यम से संस्थाओं का संचालन करना।

35– ट्रस्ट द्वारा बाल श्रम पर रोक लगाने बाल सुरक्षा तथा शिशुओं के निःशुल्क टीकाकरण व स्वास्थ्य की देखभाल करने के कार्यक्रम आयोजित किये जा सकेंगे।

36– प्राकृतिक चिकित्सा सम्बन्धी आयुर्वेदिक एवं अंग्रेजी दवाओं (Medicines) का निर्माण करना तथा चिकित्सा की व्यवस्था करना।

Scanned with OKEN Scanner

37– कृषि उपयोग में आने वाली दवाओं का शोध व निर्माण करना कृषि विश्व विद्यालय स्थापित करना तथा मिट्टी आदि की जांच करवाना व कृषकों को जागरूक करना।

38– समाज के पिछडें वर्ग ,धार्मिक अल्पसंख्यक शिक्षणनों व तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना ।

39– जन साधारण को ज्ञानवर्धक हितार्थ पुस्तकालय स्थापित करना ।

40– ट्रस्ट के नाम चल व अचल सम्पत्ति क्रय करने व दान व हिबा के रूप में ग्रहण करने तथा ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को किसी अन्य के पक्ष में अन्तरित करने का अत्यान्तिक अधिकार ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को ही होगा ।

41– ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह विद्यालय, महाविद्यालय आदि सस्थानो को शासन की अनुमति प्राप्त कर उन्हें अल्पसंख्यक सस्थांन में परिवर्तित करने का अधिकार होगा।

42– किसी भी शिक्षण सस्थांन में कार्य करने वाले अध्यापकों व्यक्तियों हेतु आवास का निर्माण कराना तथा छात्र–छात्राओं हेतु कैन्टीन आवास समय–समय पर सांस्कृतिक प्रोग्राम, सेमिनार का संचालन करना ट्रस्ट का अधिकार होगा।

43– शिक्षण संस्थान में किसी भी धर्म से संबधित धार्मिक स्थलों का निर्माण कराना तथा उसकी शिक्षा को बढ़ावा देना, किसी भी धर्म के मूल कर्त्तव्यों धर्मग्रन्थों की शिक्षा देना तथा धर्म से संबधित धार्मिक संतो, महात्मों की नियुक्ति करना, ट्रस्ट का अधिकार होगा, उसके किसी भी प्रकार से किसी सस्थां/समाजसेवी/सरकारी/गैर सरकारी संगठनों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

44– ट्रस्ट के फंड से किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की शिक्षा में सहायता, आर्थिक सहायता या किसी अन्य प्रकार की सहायता करने का अधिकार ट्रस्ट को होगा।

<u>ट्रस्ट धन का विनियोग–</u>

1– ट्रस्ट के धन का विनियोग आयकर विधान के अनुसार किया जायेगा।

2– उपयुक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए धन संग्रह करना, सहायता लेना व देना व ब्याज सहित ऋण लेना व देना, जायदाद खरीदना व बेंचना निर्माण करना, रेहन रखना, लीज पर लेना व देना, बैंक व्यवहार व अन्य जो भी आवश्यक कार्य हो उन्हें करना।

3– ट्रस्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए देश–विदेश से दान व चन्दा, क्रय–विक्रय एवं विनिमय पट्टा किराये पर या अन्य किसी प्रकार के भूखण्ड, भवन या कोई चल व अचल सम्पत्ति प्राप्त करना या उससे व्यवसाय करना, विक्रय प्रबन्ध, हस्तान्तरण , दृष्टिबन्धक किसी भी भांति निपटाना या अन्य किसी भी प्रकार से उपयोग में लेना।

4– मुख्य ट्रस्टी द्वारा इस ट्रस्ट में इस समय धनराशि रू0 11000/– निहित की जाती है। वर्तमान समय में ट्रस्ट के नाम कोई अचल सम्पत्ति निहित नहीं है।

<u>ट्रस्ट मण्डल एवं नियमावली–</u>

1– ट्रस्ट का स्थायी बोर्ड होगा जिसमें ट्रस्ट मण्डल के सदस्यों की संख्या किसी भी दशा में 5 से अधिक नहीं होगी। इन्हीं स्थायी सदस्यों में से पदाधिकारियों की नियुक्ति होगी। ट्रस्ट में अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति भी आवश्यकतानुसार की जा सकेगी। ऐसे सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति से एक वर्ष का होगा, परन्तु उनकी पुनः नियुक्ति भी सम्भव होगी।

2– ट्रस्ट के स्थायी एवं अस्थायी सदस्यों की नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष जीवनपर्यन्त पद पर रहेंगे।

3– स्थायी न्यासियों में से किसी का स्थान रिक्त होने पर उनके स्थान पर पुनः नियुक्ति मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ही की जा सकेगी। किसी भी स्थायी सदस्य को हटाने का निर्णय मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा लिया जायेगा।

Scanned with OKEN Scanner

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किसी सरकारी, गैर सरकारी अथवा वित्तीय संस्थान बैंक से सहायता ऋण लेने की दशा में ट्रस्ट के अध्यक्ष अथवा वह जिसको नामित करें या सचिव के साथ संयुक्त रूप से समस्त दस्तावेजों का निष्पादन कर सकेगा।

5– ट्रस्ट के मण्डल में कोई भी पद किसी भी कारण से रिक्त होता है तो वह मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा नामित व्यक्ति से ही भरा जायेगा।

6– ट्रस्ट मण्डल के मध्य निर्णय या किसी विवाद की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से निर्णय लिया जा सकता है जो अन्तिम व सर्वमान्य होगा।

7– ट्रस्ट मण्डल के द्वारा लिए सभी निर्णयों एवं कार्यों का क्रियान्वयन ट्रस्ट के सचिव के द्वारा ही किया जायेगा।

8– किसी भी विषय पर मतदान की स्थिति में मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को एक अतिरिक्त मत देने का विशेषाधिकार होगा। अस्थायी ट्रस्टियों एवं प्रबन्ध समितियों के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की भूमिका मात्र परामर्श देने की रहेगी तथा उन्हें मतदान का अधिकार नहीं होगा।

9– ट्रस्ट के विधिक कार्यों की देखरेख के लिए समय–समय पर आवश्यकतानुसार अधिवक्ता की नियुक्ति की जावेगी।

10– ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यकाल आजीवन होगा और उसके मरणोपरान्त सहायक मुख्य ट्रस्टी, मुख्य ट्रस्टी होगा। ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी का कार्यालय आजीवन होगा। मुख्य ट्रस्टी अपने जीवन काल में ही अगला ट्रस्टी ट्रस्ट की बैठक आहूत करके नामित कर सकेगा। यदि कतिपय कारणों से मुख्य ट्रस्टी ऐसा करने में असफल रहता है तो मुख्य ट्रस्टी का पद रिक्त होने की दशा में सहायक मुख्य ट्रस्टी ट्रस्ट के सदस्यों के परामर्श के पश्चात मुख्य ट्रस्टी के उत्तराधिकारियों (सन्तानों)में से योग्यतम् ,कर्मठ व कार्य कुशल समाज सेवा को समर्पित, ट्रस्ट संचालन में सक्षम व्यक्ति को मुख्य ट्रस्टी के पद पर नियुक्त करेंगे।

11– यदि कोई ट्रस्टी ट्रस्ट को पूर्ण कालिक रूप से अपनी सेवाएं प्रदान करता है तो ट्रस्ट मण्डल को यह अधिकार होगा कि उसके मानदेय का निर्धारण कर भुगतान करें।

<u>निम्नलिखित परिस्थितियां उत्पन्न होने पर ट्रस्टी का पद रिक्त माना जायेगा।</u>

अ– त्याग पत्र देने एवं मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा स्वीकृत कर लिये जाने पर।

ब– नैतिक पतन से सम्बद्ध अपराध में सजा हो जाने पर।

स– मन एवं बुद्धि अथवा शारीरिक रूप से अक्षम हो जाने पर।

द– दिवालिया घोषित होने पर।

य– मृत्यु हो जाने पर।

Scanned with OKEN Scanner

ट्रस्ट के निम्नलिखित स्थाई सदस्य एवं पदाधिकारीगण तथा ट्रस्ट मण्डल होंगे

ट्रस्टीगणों का विवरण :–

क्र0सं0	नाम व पिता/पति का नाम /पता	आयु	पद	व्यवसाय
1.	डा0 महताब आलम खां पुत्र श्री मुख्तार अहमद खां निवासी 152 शाहपुरा कोठी शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी।	49 वर्ष	मुख्य ट्रस्टी/ अध्यक्ष	चिकित्सक
2.	श्रीमती शाइस्ता जाकिर बेग पत्नी डा0 महताब आलम खां निवासी 152 शाहपुरा कोठी शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी	45 वर्ष	सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव	समाजसेवा
3.	श्री मिर्जा जाकिर अली बेग पुत्र श्री मिर्जा वाहिद अली बेग निवासी शाहपुरा कोठी शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी।	78 वर्ष	ट्रस्टी/कोषाध्यक्ष	सेवानिवृत्त
4.	श्री सराफत अली पुत्र श्री सदुल्ला निवासी ग्राम देवरियारडा पो0 रडा बाजार तहसील गोला परगना भूड़ जिला खीरी।	36 वर्ष	ट्रस्टी	प्राइवेट नौकरी
5.	श्री मो0 आरिफ पुत्र श्री इशरत अली निवासी मो0 निर्मलनगर शहर व तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी।	29 वर्ष	ट्रस्टी	प्राइवेट नौकरी

Scanned with OKEN Scanner

मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– जब तब न्यासकर्ता जीवित रहे और इस मामले में काम करने के योग्य रहे तब तक वह न्यासियों में एक न्यासी रहेगा और न्यासियों तथा न्यास की समस्त बैठकों का सभापतित्व करने का अधिकारी होगा उसका निर्णय मत भी होगा। न्यासकर्ता/मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष की अनुपस्थिति में न्यास की बैठकों में सभापतित्व करने का अधिकार सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव ट्रस्टी का होगा।

2– ट्रस्ट की चल व अचल सम्पत्ति को क्रय करने एवं विक्रय करने, लीज एवं किराये पर अन्य व्यक्तियों, समितियों एवं संस्थाओं को देने व लेने का अधिकार होगा। यह कि मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह अधिकार इस विलेख द्वारा प्रदत्त किया जाता है कि राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा प्राईवेट संस्थान से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने हेतु ट्रस्ट की वर्तमान व भविष्य में प्राप्त होने वाली सम्पत्ति को सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव के साथ मूल विक्रय विलेख आदि बैंक में रखकर बंधक (Morgtage) कर सकेंगे।

3– ट्रस्ट के राष्ट्रीयकृत बैंक से ऋण एवं बैंक गारन्टी प्राप्त करने पर बैंक के सिक्योरिटी दस्तावेज एवं अन्य दस्तावेजों पर ट्रस्ट के मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष हस्ताक्षर करेंगा तथा मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष को बैंक से लिमिट की सुविधा प्राप्त करने का अधिकार होगा।

4– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किसी भी कर्मचारी/सदस्य मैनेजमेन्ट कमेटी की वैतनिक, अवैतनिक नियुक्ति/पदच्युत करना।

5– ट्रस्ट की नीतियों का निर्धारण करना।

6– ट्रस्ट की वार्षिक बजट की स्वीकृति देना।

7– लेखा पुस्तकों, आय–व्यय, खाता चिट्ठा एवं आडिटर की रिपोर्ट विचार व स्वीकृति देना एवं अगले साल के लिये आडिटर से सम्प्रेक्षा करवाना।

8– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ट्रस्ट एवं ट्रस्ट द्वारा सचालित संस्थाओं हेतु उनकी सम्पत्तियों पर ऋण का लेन देन करना रहन रखना, पट्टा लेना व देना चल व अचल सम्पत्तियों का क्रय विक्रय निर्माण आदि करना या करवाना।

9– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये देश–विदेश से सहायता लेना व देना।

10– ट्रस्ट की बैठकें आयोजित करना या कराना एवं उसकी अध्यक्षता करना।

11– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों को ट्रस्ट का सदस्य बनाना।

12– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये किये गये सभी प्रकार के व्यय को ट्रस्ट से प्राप्त करने का अधिकार होगा।

13– ट्रस्ट के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी भी प्रकार के ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार की सरकारी या गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना या कराना।

14– ट्रस्ट की उद्देश्यों की पूर्ति के लिए शिक्षण संस्थाओं हेतु वाहनों जैसे स्कूल, बस, मौजिक या कार आदि को सूचारू रूप से संचालन हेतु आवश्यकतानुसार क्रय या विक्रय करना तथा रख–रखाव करना।

15– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये विद्यालय एवं शिक्षण संस्थाओं का नामकरण करके उसकी स्थापना करना एवं अलग अलग शिक्षण संस्थाओं की अलग अलग कमेटी गठित करके संचालित करना। ट्रस्ट को अधिकार होगा कि वह ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप न कार्य करने की दशा में उक्त कमेटी को भंग कर सकता है तथा ट्रस्ट के हित के विरूद्ध कार्य करने पर किसी भी ट्रस्टी को ट्रस्ट से निकालने का अधिकार होगा।

Scanned with OKEN Scanner

सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य–

1– मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष के परामर्श से ट्रस्ट मण्डल की बैठक आयोजित करना।
2– ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये पत्र व्यवहार करना।
3– वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
4– लेखा पुस्तकों तैयार करना व कराना।
5– ट्रस्ट की सभी गतिविधियों से ट्रस्ट मण्डल को अवगत कराना।
6– ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
7– ट्रस्ट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कानूनी मामलों को आवश्यकतानुसार मुख्यट्रस्टी/अध्यक्ष के निर्देशानुसार अधिवक्ता से पैरवी कराने एवं निस्तारण आवश्यकतानुसार कराने के लिये निर्देशित करना।
8– अन्य सभी कार्य जो ट्रस्ट मण्डल द्वारा सौंपे जायें।
9– ट्रस्ट द्वारा संचालित सभी प्रकार की संस्थाओं में ट्रस्ट का सचिव समस्त संस्थाओं में पदेन सचिव या प्रबन्धक या संरक्षक रहेगा।

कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य –

1– ट्रस्ट का लेखा जोखा रखना व आडिट कराना।
2– वार्षिक बजट बनाना तथा ट्रस्ट मण्डल के समक्ष प्रस्तुत करना व स्वीकार करना।
3– ट्रस्ट मण्डल की सभी बैठकों में उपस्थित रहना।
4– ट्रस्ट के उद्देश्यों के लिए धन संग्रह करना।
5– अन्य कार्य जो मुख्य ट्रस्टी /अध्यक्ष द्वारा सौंपे जावें उन्हें करना।

ट्रस्ट के संचालन हेतु प्रबन्ध समिति का गठन–

1– ट्रस्ट के विभिन्न कार्यों के सम्पादन हेतु मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष व सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा प्रबन्ध समितियों का गठन किया जायेगा और उक्त प्रबन्ध समितियां ट्रस्ट के नियंत्रणाधीन प्रबन्धन करेंगी। किसी भी प्रबन्ध समिति को किसी भी समय भंग करने का अधिकार मुख्य ट्रस्टी को होगा।
2– ट्रस्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिये किसी प्रकार का ऋण लेने अथवा अन्य किसी भी प्रकार के सरकारी/गैर सरकारी दस्तावेजों का निष्पादन करना।

ट्रस्ट की बैठक–

1– वर्ष में कम से कम एक बार अथवा आवश्यकता पडने पर ट्रस्ट की बैठक आहूत करना। इसके लिये प्रबन्ध समितियों के गठन सदस्यों व पदाधिकारियों को भी आमंत्रित किया जा सकता हैं। परन्तु यह मुख्य ट्रस्टी की इच्छा पर निर्भर होगा। अनिवार्य नहीं होगा। सदस्यों को कम से कम एक सप्ताह पहले सूचना देनी होगी।
2– आवश्यकता पड़ने पर अध्यक्ष द्वारा 24 घन्टे की सूचना पर विशेष बैठक बुलाई जा सकती है।

वित्तीय वर्ष–

ट्रस्ट का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से आरम्भ होकर प्रत्येक वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। यदि केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष की तिथियों में कोई परिवर्तन किया जाता है तो वहीं वित्तीय वर्ष मान्य होगा।

ट्रस्ट के कोषों का संचालन–

ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष, सहायक मुख्य ट्रस्टी/ सचिव तथा कोषाध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के नाम पर संयुक्त रूप से किसी भी सहकारी बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक या निजी क्षेत्र की बैंकों में खाता खोला जा सकेगा जिसका संचालन ट्रस्ट के मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष व सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव तथा कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो द्वारा किया जावेगा जिसमें मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष या सहायक मुख्यट्रस्टी के हस्ताक्षर अनिवार्य होगें।

न्यायालय की अधिकारिता–

ट्रस्ट से सम्बन्धित समस्त मामलों में न्यायालय का अधिकार क्षेत्र जनपद लखीमपुर–खीरी होगा।

Scanned with OKEN Scanner

घोषणापत्र में संशोधन–

ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये उपरोक्त घोषणा पत्र में समय समय पर संशोधन/परिवर्तन मुख्य ट्रस्टी/अध्यक्ष तथा सहायक मुख्य ट्रस्टी/सचिव द्वारा किया जा सकता है। मैं एतद्द्वारा साक्षीगणों की उपस्थिति में नीचे अपने हस्ताक्षर से इस ट्रस्ट के घोषणा पत्र का निष्पादन करते हैं।

ह0 मुख्यट्रस्टी /अध्यक्ष
आ0सं0 **XXXX XXXX 4697**
मो0नं0 8299101218

साक्षी 1– Shoaib Khan
शोएब इकबाल खां पुत्र फहीम अकबाल खां निवासी मकान नं0 484/ 249 मोहल्ला महराजनगर मस्जिद के पास लखीमपुर जिला खीरी।
आ0सं0 **XXXX XXXX 8260**
मो0नं0 8299466335

साक्षी 2– Zuber Alam Khan
जुबेर आलम खां पुत्र मो0 अतीक खां निवासी ग्राम मस्जिदपुरवा पो0 लगुचा तहसील लखीमपुर परगना व जिला खीरी।
आ0सं0 **XXXX XXXX 5428**
मो0नं0 8808589422

दिनांक–02.05.2022
इस ट्रस्ट विलेख को मेरे द्वारा ड्राफ्ट किया गया।

Vivek Ranjan Srivastava
Advocate
Lakhimpur-Kheri
Reg. No.-14358/10

Scanned with OKEN Scanner

आवेदन सं०: 202200801009500

बही संख्या 4 जिल्द संख्या 97 के पृष्ठ 273 से 292 तक क्रमांक 63 पर दिनाँक 02/05/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भानु प्रताप सिंह
उप निबंधक : सदर
लखीमपुर खीरी
02/05/2022

उप निबन्धक ... सरकार

Scanned with OKEN Scanner